

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

1649/अकादमी/संब./चि.शि.संकाय/12

भोपाल, दिनांक 27.8.12

प्रति,

प्राचार्य

L. B. S. Homeopathic  
Medical College H.H. 12

स्पीड-पोस्ट

Samarakha Shopet (M.P.)

विषय:-BHMS पाठ्यक्रम सत्र 2012-13 हेतु अस्थाई संबद्धता निरंतर करने विषयक ।

महोदय,

केन्द्रीय होम्योपैथी चिकित्सा परिषद नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 16-7/97-CCH-23304  
दिनांक 25.9.2012 द्वारा प्रदत्त मास्टर के आधार पर विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 18.05.12 तथा  
कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.12 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रम में  
प्रावधिक अस्थाई संबद्धता सत्र 2012-13 निम्न शर्तों के साथ निरंतर की जाती है ।

पाठ्यक्रम का नाम

L. B. S. H. M. S. I II III IV - 100 Seats.

शर्तें:-

1. आपको आगामी सत्र 2013-14 निरंतरता हेतु केन्द्रीय होम्योपैथी चिकित्सा परिषद नई दिल्ली की अनुमति प्राप्त कर निर्धारित संबद्धता शुल्क के निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा।
  2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
  3. आपको प्राचार्य शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड 28 के तहत एम.सी.आई. के मापदण्डों के अनुरूप आवधिक रूप से निरंतर करना होगा।
  4. आपके महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण नहीं है तो आपको तीन माह के अन्दर शिक्षकों/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण करना होगी। अन्यथा आपके महाविद्यालय को प्रदत्त यह प्रावधिक अस्थाई संबद्धता/निरंतरता निरस्त कर दी जावेगी।
  5. आपको शारी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो कर विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
  6. आपको विषय से संबंधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली के नियमों के अनुरूप करना होगी।
  7. आपको केन्द्रीय होम्योपैथी चिकित्सा परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों को पालन करना होगा।
  8. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
  9. उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर संबद्धता निरस्त की जा सकेगी
- नोट :- आपके महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड 28 एम.सी.आई नई दिल्ली के मापदण्डों के तहत कर ली गई है तो उनके कार्यवृत्त/नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने के समस्त अभिलेखों (फोटो सहित) की एक छाया प्रति अकादमी शाखा की संबद्धता कक्ष को प्रस्तुत करें।

आदेशानुसार

(डॉ. बी. भारती)

482 उप-कुलसचिव अकादमी  
भोपाल, दिनांक 27.8.12

पृ0क्रमांक /अकादमी/संबद्धता/12

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, केन्द्रीय होम्योपैथी चिकित्सा परिषद नई दिल्ली।
2. अतिरिक्त संचालक आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

उप-कुलसचिव, (अकादमी)

Imran Nursing

PRINCIPAL  
L. B. S. HOMOEOPATHIC MEDICAL  
COLLEGE, BHOPAL

251

16-24/96/55/विशि/2

मध्य प्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय-भोपाल

:: आ दे श ::

भोपाल, दिनांक 04 जनवरी 1997

क्रमांक सं. 16-24/96/55/विशि/2 :: राज्य शासन द्वारा एल. बी. एस. होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल को वर्ष, 1996-97 के शिक्षण सत्र में संस्था द्वारा दिये गये वचन पत्र (अग्रेस्टेटमेंट) के अनुसरण में डी. एच. एम. एस. कोर्स के स्थान पर स्नातक पाठ्यक्रम (बी. एच. एम. एस.) कोर्स चालू करने की स्वीकृति इस अर्थ पर दी जाती है कि संस्था एक वर्ष के भीतर केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा कर शासन को सूचित करेगी। अन्यथा स्थिति में आगामी वक्षा प्रारंभ नहीं करेगी। उक्त शर्तों का पालन न किये जाने पर शासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी।

मध्य प्रदेश शासन  
आदेशानुसार

डॉ. एस. सी. राय  
उप सचिव

म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 04 जनवरी 1997

क्रमांक सं. 16-24/96/55/विशि/2


प्रतिप्रेषित:-

- 1] प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
- 2] उप सचिव, उच्च शिक्षा (असासकीय शिक्षण संस्थाओं से संबंधित शाखा) मंत्रालय, भोपाल।
- 3] सहायक सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।

निरंतर-2

**PRINCIPAL**  
**L.S. HOMOEOPATHIC MEDICAL**  
**COLLEGE & HOSP. BHOPAL**

- १४१ राजित्द्वार, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, जनकपुरी नई दिल्ली-110 058  
१५१ संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म०१० भोपाल ।  
१६१ प्रशासक, राज्य होम्योपैथी परिषद्, म०१० भोपाल ।  
१७१ राजित्द्वार, राज्य होम्योपैथी परिषद्, म०१० भोपाल ।  
१८१ प्राचार्य, डॉ० जमील अंतारी एम.बी.एस. होम्योपैथी कॉलेज प्लॉट नं. ७९  
ईदगाह हिल, नियर तिमिल कोर्ट शाहजहांनाबाद, भोपाल ।

  
अ. त. दि. 4/1/97

म०१० शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग,

"कार्यलय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन"  
अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा  
हिन्दी भवन, श्यामता हिल्स, भोपाल.

"प्रमाण-पत्र"

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 ए। ए. के अंतर्गत.

प्राचार्य, एल.बी.एस. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एन्ड हॉस्पिटल, भोपाल.

सारा पत्र क्रमांक 593 दिनांक 31.8.99 द्वारा इत विभाग को  
वि.वि. अधिनियम 1973 की धारा 26 ए। ए. 25 ए के अंतर्गत महाविद्यालय  
सत्र 99-2000 से नया अशासकीय हाविद्यालय में निम्नी लिखित अतिरिक्त  
विषयों की कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया है.

विषय : बी.एस.एम.स.स. चतुर्थ वर्ष

सत्र 99-2000

उक्त आवेदन पत्र निराक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 31.8.99 पर  
विचार करने के उपरांत यह विभाग संतुष्ट है कि वि.वि. की विद्युत परिषद  
के प्रावधान 26 ए। ए. 25 ए वि.वि. अधिनियम 1973 के अंतर्गत कुछ कार्य  
परिषद के वि.वि. अधिनियम के प्रावधान 24 ए। 2 ए के अंतर्गत एक वर्ष के लिए  
अस्थाई अनुमति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें.

एल.बी.एस.स.स. भोपाल.

अतः यह विभाग यह प्रमाण पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासकीय निम्नी लिखित/भोपाल  
समिति को प्रदान करता है. जिससे कि कुछ वि.वि. अधिनियम की धारा-  
26 ए। ए. 25 ए के प्रावधानों के अनुसार इत प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें  
आवश्यक शर्त निम्नाहसार है:

1. सत्र 99-2000 से प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व शैक्षणिक स्टाफ की पूर्ण  
व्यवस्था हो.
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएं प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व की जाये जिससे  
आरंभ होने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो.
3. संस्था वित्तीय संसाधनों की जानकारी इत कार्यालय को 1 माह में उपलब्ध  
कराये तथा इसके आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इत कार्यालय को उपलब्ध  
कराने पर ही के अनुमति दस्तावेज प्रस्ताव की जानकारी दे.

  
**PRINCIPAL**  
L.S. HOMOEOPATHIC MEDICAL  
COLLEGE & HOSP. BHOPAL

संस्था में प्राचार्य की नियुक्ति होना आवश्यक है, यह अनुमति प्रमाण-पत्र अस्माई है. संस्था द्वारा तमस्त पूर्तियों की जाने पर इत. कार्यालय को सूचित किया जाये, ताकि अस्माई अनुमति प्रमाण-पत्र पर विचार कर स्थायी करने का निर्णय लिया जाये.

महाविद्यालय शासन से भी वक्ष्य में कोई अनुदान की मांग नहीं करेगा. महावि. को नो प्रोफिट नो लॉस के आधार पर चलाया जायेगा. प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा.

गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये. चाहे उनके भार उन पर डाला जाये. निम्नकी आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है.

शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा. पी.एल.सी. कम्प्यूटर साइंस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विषयों के लिए तथा पी.जी.डी.सी.ए. के लिए प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकें आदि की विस्तृत जानकारी तक उपलब्ध कराये.

*sd*  
अतिरिक्त संचालक.

मास्टर, माध्यम, उच्च शिक्षा वि. प्र. 1  
भोपाल.

4929

भोपाल, दिनांक 25-10-99

~~प्रतिनिधि~~

एल.बी.एस. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एन्ड हास्पिटल प्लॉट नं. 3,

1. प्राचार्य का पत्र एवं 9 निष्पत्ति सिविल कोर्ट राम नगर, कालोनी, भोपाल. को सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

2. कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल. को सूचनार्थ एवं धारा-24 के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन देने हेतु.

3. सचिव, भारत सरकार उच्च शिक्षा विभाग को उनके पत्र क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में सूचनार्थ.

टिप्पणी:- यह प्रमाण-पत्र किसी संस्था को विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएं आरंभ करने के लिए अधिसूक्त नहीं करता, जब तक द्वितीय विद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (ख) के अंतर्गत संबन्धित प्रदान नहीं करता.

*M. K. ...*  
अतिरिक्त संचालक  
25/10/99

  
**PRINCIPAL**  
**L.S. HOMOEOPATHIC MEDICAL**  
**COLLEGE & HOSP. BHOPAL**